प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 208/2004

बदनबाई एवं अन्य
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक : 26-03-2012 को सूचीबद्ध करे ।

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 208/2004

अपीलार्थीगण

1. बदनबाई, पति विद्या लहरे, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी मुंगेली, दाऊपारा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
2. जयकुमारी, पति लतेल काथले, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी आजादपारा, तखतपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
3. छतराम, पिता मोहनलाल कुर्रे, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी जरवे, पुलिस थाना बाराद्वार, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
4. जसबाई, पति छतराम कुर्रे, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी जरवे, पुलिस थाना बाराद्वार, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

श्री एम.डी. धोटे, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण की ओर से।

श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता एवं श्रीमती मधुनिशा सिंह, पैनल अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील

निर्णय

(दिनांक 26 मार्च, 2012 को प्रदत्त**)**

यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती, जिला बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 449/2003 में पारित निर्णय दिनांक 16-2-2004 के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण बदनबाई, जयकुमारी, छतराम और जसबाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 सहपठित धारा 34 और 149 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और उनमें से प्रत्येक को निम्नलिखित रीति से दंडादिष्ट किया गया है:

दोषसिद्धि	दंडादेश
भा.दं.सं. की धारा 363 सहपठित धारा 34 और 149 के अधीन	तीन वर्ष का कठोर कारावास और 500/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के संदाय में व्यतिक्रम होने पर 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
भा.दं.सं. की धारा 366 सहपठित धारा 34 और	पांच वर्ष का कठोर कारावास और 500/- रुपये

149 के अधीन	अर्थदंड, अर्थदंड के संदाय में व्यतिक्रम होने पर 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
	दोनों दंडादेश साथ-साथ चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

2. अभियोजन का प्रकरण, संक्षेप में, निम्नानुसार है:

दिनांक 8-7-2003 को, अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) को उसके पिता पंचराम (अ.सा.-2) द्वारा ग्राम जरवे में स्थित एक विद्यालय में प्रवेश के लिए अभियुक्त छतराम के घर ले जाया गया था। पंचराम (अ.सा.-2) ने अपनी पुत्री (अभियोक्त्री) को अभियुक्त छतराम के घर छोड़ दिया और वापस आ गया। अभियुक्त छतराम, अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) को प्रवेश के लिए विद्यालय ले गया और उसी तिथि को, अर्थात 8-7-2003 को, उसने उसे अपनी पत्नी (अभियुक्त जसबाई) के भतीजे योगेश उर्फ बंटी से विवाह करने के लिए कहा। अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) ने विवाह करने से इनकार कर दिया। दिनांक 9-7-2003 को, अभियुक्त व्यक्तियों छतराम और जसबाई ने साशय अभियोक्त्री को उनकी पुत्री गुलशनबाई के साथ मोटर साइकिल पर मुंगेली भेज दिया। अभियुक्त व्यक्ति छतराम और जसबाई मुंगेली में योगेश उर्फ बंटी के घर आए। मुंगेली में, अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) को योगेश उर्फ बंटी के पिता विद्या लहरे, योगेश उर्फ बंटी की माता अभियुक्त बदनबाई और गुलशनबाई द्वारा योगेश उर्फ बंटी से विवाह करने के लिए विवश किया गया। उन्होंने उसे धमकी भी दी। उन्होंने उसे एक जीप में बिठाया, उसे साशय गिरौदपुरी ले गए और साशय उसका विवाह योगेश उर्फ बंटी से करवा दिया। दिनांक 10-7-2003 को, अभियोक्त्री द्वारा निवारित किए जाने के बाद भी, योगेश उर्फ बंटी ने उसके साथ बलात्संग किया। दिनांक 11-7-2003 को, अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) ने मुंगेली से टेलीफोन करके अपने चाचा तुलसीराम बांधेकर (अ.सा.-3) को सूचित किया। इस पर, अभियोक्त्री के पिता (पंचराम-अ.सा.-2) ने 13-7-2003 को थाना बाराद्वार में एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श.पी-6) दर्ज कराई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श.पी-7) अपराध क्रमांक 149/2003 पंजीकृत किया गया और अभियोक्त्री को मुंगेली में विद्या लहरे के घर से बरामदगी पंचनामा (प्रदर्श.पी-11) द्वारा बरामद किया गया।

अभियोक्त्री की एक भूरी चड्डी प्रदर्श.पी-4 जब्त की गई। पुलिस द्वारा प्रदर्श.पी-5 घटना स्थल का नजरी-नक्शा तैयार किया गया। अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) को सुपुर्दनामा (प्रदर्श.पी-8) पर उसके पिता पंचराम (अ.सा.-2) को सौंप दिया गया। पटवारी घनश्याम भारद्वाज (अ.सा.-7) द्वारा एक अन्य स्थल मानचित्र (प्रदर्श.पी-12) तैयार किया गया। पटवारी घनश्याम भारद्वाज (अ.सा.-7) द्वारा प्रदर्श.पी-13 घटना स्थल का स्थल पंचनामा भी तैयार किया गया। अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) की माध्यमिक स्कूल परीक्षा, 2002 का प्रमाण-पत्र-सह-अंकसूची (प्रदर्श.पी-3), जिसमें अभियोक्त्री की जन्म तिथि 21-1-86 उल्लेखित है, प्रदर्श.पी-9 द्वारा जब्त की गई। अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(अ.सा.-1) ने प्रदर्श.पी-1 अपने गुप्तांग (योनि) के परीक्षण के लिए अपनी सहमति दी और उसके पिता पंचराम (अ.सा.-2) ने भी प्रदर्श.पी-10 इसके लिए सहमति दी।

अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) को प्रदर्श.पी-14 गुप्तांग (योनि) के परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सक्ती भेजा गया। डॉ. श्रीमती सी.के. सिंह (अ.सा.-8) ने अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श.पी-2) दी, जिसमें उन्होंने पाया कि लीबिया मेजोरा और माइनोरा 5 से 7 बजे की स्थिति में फटे हुए थे। स्पर्श करने पर रक्तस्राव मौजूद था। अभियोक्त्री के साथ संभोग किया गया था। अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) को उसकी आयु के संबंध में एक्स-रे परीक्षण हेतु सरदार पटेल जिला चिकित्सालय, बिलासपुर भी भेजा गया। रेडियोलॉजिस्ट डॉ. जी.एस. कंवर (अ.सा.-9) ने अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श.पी-15) दी, जिसमें उन्होंने पाया कि अभियोक्त्री की आयु 18 से 19 वर्ष थी। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सक्ती के न्यायालय में अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने तत्पश्चात प्रकरण को सत्र न्यायालय बिलासपुर को उपार्पित किया, जहाँ से इसे अंतरण पर विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती द्वारा प्राप्त किया गया, जिन्होंने विचारण संचालित किया और अपीलार्थीगण को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.डी. धोटे ने यह तर्क दिया कि घटना की तिथि पर कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) की आयु 18 वर्ष से अधिक थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विकृत है। अभियोक्त्री का साक्ष्य विसंगतियों और अंतर्विरोधों से भरा है, जो अभियोजन प्रकरण की जड़ और आधार को नष्ट कर देता है। अभियोक्त्री ने अपीलार्थी छतराम का घर स्वेच्छा से छोड़ा था। अभियोक्त्री के पास भागने के कई अवसर थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अभियोक्त्री ने फरार अभियुक्त योगेश उर्फ बंटी से विवाह किया। ये अपीलार्थीगण केवल विवाह के समय उपस्थित थे। अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने के लिए मात्र उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। इसलिए, अपीलार्थीगण को भा.दं.सं. की धारा 34 और 149 सहपठित धारा 363 और धारा 34 और 149 सहपठित धारा 366 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष विकृत है और अपास्त किए जाने योग्य है तथा अपीलार्थीगण दोषमुक्ति के योग्य हैं।

4. विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव और विद्वान पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधुनिशा सिंह ने राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात, मैंने सत्र प्रकरण क्रमांक 449/2003 के अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. इस प्रकरण में विचारार्थ जो पहला विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि जिस तिथि को अभियोक्त्री का कथित रूप से व्यपहरण किया गया था, उस तिथि को उसकी आयु क्या थी?

7. कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य की तिथि, अर्थात 23-1-2004 को अपनी आयु 18 वर्ष बताई और घटना की तिथि 8-7-2003 थी। कंडिका 8 में, उसने कथन किया कि उसकी जन्म तिथि 21-1-1986 है। अभियोक्त्री के पिता पंचराम (अ.सा.-2) ने भी कथन किया कि अभियोक्त्री की जन्म तिथि 21-1-1986 है।

8. बच्चे की जन्म तिथि के अवधारण के प्रकरण में, सर्वोत्तम साक्ष्य बच्चे के पिता और माता का होता है। वर्तमान प्रकरण में, डॉ. जी.एस. कंवर (अ.सा.-9) ने कथन किया कि उन्होंने अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श.पी-15) दी, जिसमें उन्होंने पाया कि अभियोक्त्री की आयु 19 वर्ष थी। इस प्रकरण में, अभियोजन ने अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) की माध्यमिक स्कूल परीक्षा, 2002 का प्रमाण-पत्र-सह-अंकसूची (प्रदर्श.पी-3) प्रस्तुत किया, जिसमें अभियोक्त्री की जन्म तिथि 21-1-86 उल्लेखित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **हरपाल सिंह एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, ए.आई.आर 1981 एस.सी. 361** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि संबंधित अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में प्रविष्टि की गई थी, इसलिए यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन स्पष्ट रूप से ग्राह्य है और अभियोजन के लिए इसके रचयिता का परीक्षण करना आवश्यक नहीं है। हम साक्ष्य का जिस भी दृष्टिकोण से अवलोकन करें।

10. अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) ने शासकीय माध्यमिक स्कूल जरवे में अध्ययन किया, जो एक शासकीय विद्यालय है, इसलिए दस्तावेज प्रदर्श.पी-3 साक्ष्य अधिनियम की धारा 34/35 के अधीन ग्राह्य है। पंचराम (अ.सा.-2) के साक्ष्य और प्रदर्श.पी-3 के अनुसार, अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) की जन्म तिथि 21-1-1986 है। डॉ. जी.एस. कंवर (अ.सा.-9) तथ्य के साक्षी नहीं हैं और उनका साक्ष्य वास्तव में परीक्षण पर पाए गए लक्षणों के आधार पर दिया गया एक परामर्शी स्वरूप का साक्ष्य है।

11. अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) और पंचराम (अ.सा.-2) ने विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया कि अभियोक्त्री की जन्म तिथि 21-1-1986 है। उनके कथन तथ्यों के कथन हैं, जो अस्थिभवन परीक्षण के आधार पर दी गई विशेषज्ञ राय पर अभिभावी होते हैं। अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1), पंचराम (अ.सा.-2) के साक्ष्य और प्रदर्श.पी-3 के आधार पर, अभियोक्त्री की जन्म तिथि 21-1-1986 है और अभियोजन के अनुसार, घटना की तिथि 8-7-2003 है। इसलिए, घटना की तिथि पर, अभियोक्त्री की आयु 17 वर्ष 5 माह और 17 दिन थी। यह प्रतीत होता है कि घटना की तिथि पर, अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम आयु की थी।

12. जहाँ तक भा.दं.सं. की धारा 363 और 366 के अधीन आरोपों का प्रश्न है, व्यपहरण सिद्ध करने के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना अपेक्षित था कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर ले लिया था या उसे बहका कर ले गया था। भा.दं.सं. की धारा 361, जो व्यपहरण को परिभाषित करती है, के पीछे का उद्देश्य अवयस्क बच्चों को अनुचित प्रयोजनों के लिए विलुब्ध किए जाने से बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।

13. **ठाकोरलाल डी. वदगामा बनाम गुजरात राज्य, ए.आई.आर 1973 एस.सी. 2313** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार संप्रेक्षण किया:

> "धारा 361 'जो कोई किसी अप्रप्ताव्य को ले जाता है या बहका ले है' पदावली का प्रयोग करती है। 'ले जाना' शब्द का अर्थ निःसंदेह भौतिक रूप से ले जाना है, परंतु आवश्यक नहीं कि बल या कपट के प्रयोग द्वारा हो। 'बहकाना' शब्द में दूसरे व्यक्ति में आशा या इच्छा जाग्रत करके प्रलोभन या लालच देने का विचार अंतर्निहित प्रतीत होता है। यह तत्काल प्रभाव डाल सकता है या यह निरंतर और क्रमिक परंतु अगोचर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जो कुछ समय पश्चात सफल प्रलोभन के अपने अंतिम प्रयोजनों को प्राप्त करने में परिणत होता है।
>
> दोनों शब्दों को एक साथ पढ़ने से यह उपदर्शित होता है कि यदि अवयस्क अपना पैतृक घर दोषी पक्षकार द्वारा किए गए किसी वादे, प्रस्ताव या प्रलोभन से पूर्णतः अप्रभावित होकर छोड़ देती है, तो पश्चात्वर्ती को व्यपहरण का अपराध कारित करने वाला नहीं माना जा सकता है। परंतु यदि दोषी पक्षकार ने प्रलोभन, लालच या धमकी आदि द्वारा आधार तैयार किया है और यदि इसे अवयस्क को प्रभावित करने वाला या उसके अपने संरक्षक की अभिरक्षा या संरक्षण छोड़ने और दोषी पक्षकार के पास जाने में विनिश्चायक माना जा सकता है, तो प्रथम दृष्टया उसके लिए इस आधार पर निर्दोषता का अभिवचन करना दुस्तर होगा कि अवयस्क स्वेच्छा से उसके पास आई थी। यदि उसने पूर्ववर्ती किसी प्रक्रम पर उसे अपने पिता के संरक्षण से हटने के लिए यह आशय संप्रेषित या उपदर्शित करके प्रोत्साहित करते हुए याचना की थी या उत्प्रेरित किया था कि वह उसे आश्रय देगा, तो मात्र यह परिस्थिति कि उसका कृत्य उसके पैतृक घर या संरक्षक की अभिरक्षा छोड़ने का तात्कालिक कारण नहीं था, कोई वैध बचाव गठित नहीं करेगा और उसे दोषमुक्त नहीं करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) ने कथन किया कि 8-7-2003 को उसके पिता ने उसे जरवे स्कूल में अध्ययन के लिए अपीलार्थी छतराम के घर छोड़ दिया था। अपीलार्थी छतराम उसका मौसा है और अपीलार्थी जसबाई उसकी मौसी है। उसने आगे कथन किया कि फरार अभियुक्त योगेश उर्फ बंटी

और संतोष अपीलार्थी छतराम के घर आए और रात में वहीं ठहरे। अगली सुबह, उसे अपीलार्थीगण छतराम और जसबाई तथा फरार अभियुक्त योगेश उर्फ बंटी द्वारा धमकी दी गई और उसके पश्चात उसे बलपूर्वक मोटर साइकिल पर मुंगेली ले जाया गया। मोटर साइकिल योगेश उर्फ बंटी द्वारा चलाई जा रही थी और फरार अभियुक्त गुलशनबाई मोटर साइकिल पर उसके पीछे बैठी थी।

15. अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) ने आगे कथन किया कि अगली सुबह, फरार अभियुक्त विद्या लहरे के ज्येष्ठ पुत्र ने उसे मोटर साइकिल पर बिठाया और मुंगेली से गिरौदपुरी ले गया। उस समय, अपीलार्थीगण और फरार अभियुक्त विद्या लहरे मुंगेली से मोटर साइकिल का पीछा करते हुए एक जीप में गिरौदपुरी आए थे। उन्होंने बलपूर्वक उसका विवाह फरार अभियुक्त योगेश उर्फ बंटी से करवा दिया।

16. पंचराम (अ.सा.-2) ने कथन किया कि 8-7-2003 को, वह जरवे स्कूल में अध्ययन के लिए अभियोक्त्री के साथ अपीलार्थी छतराम के घर आया था। अपीलार्थी छतराम ने उससे कहा था कि अभियोक्त्री अध्ययन में कमजोर है, यदि उसे जरवे स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए, तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी। इसलिए, उसने अभियोक्त्री को अपीलार्थी छतराम के घर छोड़ दिया। उसने आगे कथन किया कि 11-7-2003 को, तुलसीराम बांधेकर (अ.सा.-3) ने उसे बताया कि अभियोक्त्री ने उसे फोन किया था कि अपीलार्थीगण ने बलपूर्वक उसका विवाह फरार अभियुक्त योगेश उर्फ बंटी से करा दिया है। तुलसीराम बांधेकर (अ.सा.-3) ने भी इसी प्रकार कथन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि क्या अपीलार्थीगण ने अभियोक्त्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से बलपूर्वक ले गये था या उसे उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर बहकाये थे?

18. अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) ने कथन किया कि सुबह लगभग 10-11 बजे योगेश उर्फ बंटी उसे जरवे से मुंगेली ले गया। यह सत्य है कि जरवे और मुंगेली के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। यह भी सत्य है कि बिलासपुर, जो एक सघन शहर है, जरवे और मुंगेली के मध्य स्थित है। उसने आगे कथन किया कि उसे गिरौदपुरी के लिए मुंगेली से सुबह लगभग 9-10 बजे ले जाया गया और वे लगभग शाम 5 बजे गिरौदपुरी पहुँचे। मुंगेली और गिरौदपुरी के मध्य की दूरी भी 100 किलोमीटर है। यह सत्य है कि बिलासपुर, शिवरीनारायण और गिरौद मुंगेली और गिरौदपुरी के मध्य स्थित हैं। यह सत्य है कि उसका विवाह गिरौदपुरी मंदिर में संपन्न हुआ था।

19. अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) ने कथन किया कि 10-7-2003 को, उसने घटना के संबंध में तुलसीराम बांधेकर (अ.सा.-3) को दूरभाष पर सूचित किया। 11-7-2003 को भी, उसने तुलसीराम बांधेकर (अ.सा.-3) को फोन किया था। तुलसीराम बांधेकर (अ.सा.-3) ने कथन किया कि 11-7-2003 को दोपहर लगभग 12:30 बजे, अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) ने उसे फोन किया था और घटना का वृत्तांत सुनाया था।

20. प्रदर्श.पी-3 शासकीय माध्यमिक स्कूल, जरवे का प्रमाण-पत्र-सह-अंकसूची है। प्रदर्श.पी-3 का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) पूर्व से ही जरवे स्कूल में अध्ययनरत थी। अभियोजन ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो यह उपदर्शित कर सके कि जरवे स्कूल से कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, अभियोक्त्री ने कक्षा 9 के लिए अन्यत्र अध्ययन किया था।

21. अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) के अनुसार, उसने तुलसीराम बांधेकर (अ.सा.-3) को दो बार फोन किया। यह दर्शित करता है कि अभियोक्त्री के पास मुंगेली में फरार अभियुक्त योगेश उर्फ बंटी के घर से पलायन करने के पर्याप्त अवसर थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

22. अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) के अनुसार, उसे जरवे से मुंगेली और तत्पश्चात मुंगेली से गिरौदपुरी मोटर साइकिल पर ही ले जाया गया था। इस यात्रा अवधि के दौरान, उसने कोई शोर नहीं मचाया, जबकि बिलासपुर शहर और शिवरीनारायण कस्बा, जो सघन स्थान हैं और कुछ पुलिस थाने उक्त यात्रा के स्थानों के मध्य स्थित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. **श्याम एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1995 सीआर.एल.जे. 3974** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार संप्रेक्षण किया:

> "न्यायालय में अपने कथन में, अभियोक्त्री ने अपीलार्थीगण पर दोषारोपण किया है। उसने कथन किया है कि उसे व्यपहरण किए जाने के समय से ही धमकी दी गई थी और पुलिस द्वारा अंततः बरामद किए जाने तक उसे धमकी के अधीन रखा गया था। सामान्यतः, उस संबंध में उसके कथन को विस्थापित करना दुष्कर होगा, परंतु उसके आचरण और साथ ही तथाकथित 'ले जाने' की रीति को दृष्टिगत रखते हुए, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अभियोक्त्री उस संबंध में सत्यनिष्ठ थी। प्रथम दृष्टया, यह अत्यधिक संयोग मात्र है कि अभियोक्त्री अनेक लोगों के उपयोग वाले एक सार्वजनिक नल पर अपनी यात्रा के दौरान एकाकी पाई जाएगी, या उसके ठिकाने की दोनों अपीलार्थियों/अभियुक्तों द्वारा निगरानी की जा रही होगी और वे उसे उसकी माता की विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर 'ले जाने' के माध्यम से व्यपहरण का अपराध कारित करने के लिए अचानक घटनास्थल पर प्रकट हो जाएंगे। द्वितीयतः, यह विश्वास करना दुष्कर है कि समाज के जिस स्तर से पक्षकार संबंधित हैं, वे दूसरे के घर जाते समय बिना किसी के ध्यान में आए चले गए होंगे। अभियोक्त्री के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे साइकिल के कैरियर पर बैठते समय किसी बोझे की भाँति बांध दिया गया था। वह सुगमता से नीचे कूद सकती थी। वह एक पूर्णतः वयस्क लड़की थी, भले ही उसने अभी

तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी, परंतु फिर भी वह विवेक की आयु प्राप्त कर चुकी थी, समझदार थी और अभियुक्त श्याम के आशय से अवगत थी कि वह उसे किसी प्रयोजन के लिए ले जा रहा था। उसके पूर्ववर्ती प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए वह इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थी कि वह किसके साथ जा रही थी। तब उससे यह प्रत्याशा थी कि वह साइकिल से नीचे कूद जाए, या प्रतिरोध करे और, किसी भी स्थिति में, स्वयं की रक्षा के लिए शोर मचाए। उसके द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी स्वेच्छा से श्याम-अपीलार्थी के साथ जाने के लिए सहमत पक्षकार थी और उस अर्थ में उसकी माता की संरक्षकता से कोई 'ले जाना' नहीं हुआ था....."

24. अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) के साक्ष्य का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जब उसे जरवे से मुंगेली और तत्पश्चात मुंगेली से गिरौदपुरी ले जाया जा रहा था और मुंगेली में भी, उसके पास शोर मचाने और शिकायत दर्ज करने का पर्याप्त अवसर था। उपर्युक्त बारंबार अवसर प्राप्त होने के बावजूद, उसने ऐसा नहीं किया और फरार अभियुक्त योगेश उर्फ बंटी के साथ संगति बनाए रखी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अभियोजन ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलार्थीगण ने एक विधिविरुद्ध जमाव गठित किया और विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य होने के नाते, अभियोक्त्री को बलपूर्वक जरवे से मुंगेली और तत्पश्चात मुंगेली से गिरौदपुरी ले गए और उसका विवाह योगेश उर्फ बंटी से करवा दिया।

26. अभियोक्त्री कुमारी माहेश्वरी (अ.सा.-1) के साक्ष्य का विवेचन करने पर, यह प्रतीत होता है कि उसने स्वेच्छा से अपीलार्थी छतराम का घर छोड़ दिया। यह प्रतीत होता है कि मुंगेली और गिरौदपुरी जाते समय अभियोक्त्री ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। यह इंगित करता है कि वह स्वेच्छा से गई थी। अभियोजन द्वारा किसी भी धमकी या प्रपीड़न या उत्प्रेरण के स्थापित न होने के अभाव में, मेरा यह विचार है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभियोजन के प्रकरण पर अवलंब लेना संभव नहीं है कि अपीलार्थियों ने एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया और अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में, उन्होंने बलपूर्वक अभियोक्त्री का विवाह योगेश उर्फ बंटी से करा दिया। अभियोक्त्री के पास न केवल उपर्युक्त स्थानों से, बल्कि मुंगेली स्थित उस घर से भी भागने के पर्याप्त अवसर थे जहां उसे रखा गया था।

27. यह प्रतीत होता है कि घटना की तिथि पर, अभियोक्त्री की आयु लगभग 17 वर्ष 5 माह और 17 दिन थी, जो 18 वर्ष से कम है, परंतु अभियोक्त्री के साक्ष्य का विवेचन करने पर यह दर्शित होता है कि उसने स्वेच्छा से जरवे से मुंगेली के लिए प्रस्थान किया। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वह अपीलार्थियों द्वारा किसी धमकी या प्रपीड़न या उत्प्रेरण या प्रलोभन के अधीन थी। अतः, भारतीय दंड संहिता की धारा 34

और 149 सहठित धारा 363 के अधीन और धारा 34 और 149 सहपठित धारा 366 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है।

28. पूर्वोक्त कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थियों पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वे जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं।

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Bhumesh Bharti

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur